"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2023 — चैत्र 1, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1, 1945)

क्रमांक – 3782/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

**(दिनेश शर्मा)**
सचिव.

# छत्तीसगढ़ विधेयक
## (क्रमांक 10 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023.

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,—

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (ञ) के उप–खण्ड (पांच) की प्रविष्टि (ख) में, शब्द "या मौरूसी कृषक की हैसियत में" का लोप किया जाए।

(दो) उप–धारा (1) के खण्ड (ढ) में, शब्द और अंक "विधि–व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का संख्यांक 18)" के स्थान पर, शब्द और अंक "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (क. 25 सन् 1961)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (ण) का लोप किया जाए।

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (द) के उप–खण्ड (एक) में, शब्द "प्राधिकृत किया है;" के पश्चात्,

शब्द "और" के स्थान पर, शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए।

(पांच) उप–धारा (1) के खण्ड (ध) का लोप किया जाए।

(छः) उप–धारा (1) के खण्ड (य–6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(य–7) **"फ्री–होल्ड (मुक्तधारण) अधिकार"** से अभिप्रेत है वार्षिक भू–राजस्व एवं अन्य उपकर को छोड़कर, सभी विल्लंगमों से मुक्त भूमिस्वामी अधिकार;

(य–8) **"अंतरण"** से अभिप्रेत है संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (क्र. 4 सन् 1882) के तहत परिभाषित अंतरण।"

3. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (2) का लोप किया जाए। धारा 33 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 40 का संशोधन.

"40. **अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव.**– अनुसूची 1 में के नियम, संहिता के अधीन बनाये गये नियमों की तरह, प्रवृत्त रहेंगे तथा संशोधित एवं निरसित किए जा सकेंगे।"

5. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– धारा 47 का संशोधन.

"47. अपीलों की परिसीमा.— किसी आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश दिनांक से 60 दिवस की अवधि के भीतर की जा सकेगी:

परन्तु जहां किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो, जिसके विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया है, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना, ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से की जायेगी।"

धारा 50 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(एक) उप—धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन, आदेश दिनांक से 60 दिवस की अवधि के भीतर की जा सकेगी और उक्त अवधि की संगणना करने में, उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय छोड़ दिया जायेगा।"

(दो) उप—धारा (2) में, जहां कहीं भी शब्द "बंदोबस्त आयुक्त" एवं "बंदोबस्त अधिकारी" आये हैं उसके स्थान पर, क्रमशः शब्द "आयुक्त, भू—अभिलेख" एवं "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए।"

| | | |
|---|---|---|
| 7. | मूल अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (तीन) में, शब्द "नब्बे दिन" के स्थान पर, शब्द और अंक "60 दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। | धारा 51का संशोधन. |
| 8. | मूल अधिनियम की धारा 52 की उप–धारा (2) एवं (3) के परंतुक के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–<br>"परन्तु आदेश का निष्पादन, आगामी सुनवाई की तारीख या एक माह, जो भी पहले हो, तक ही स्थगित की जा सकेगी।" | धारा 52 का संशोधन. |
| 9. | मूल अधिनियम की धारा 56 में, शब्द "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति" का लोप किया जाये । | धारा 56 का संशोधन. |
| 10. | मूल अधिनियम की धारा 98, 101, 102 एवं 103 का लोप किया जाये। | धारा 98, 101, 102 एवं 103 का लोप. |
| 11. | मूल अधिनियम की धारा 115 की उप–धारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाये। | धारा 115 का संशोधन. |
| 12. | मूल अधिनियम की धारा 124 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–<br>"(3) ऐसे सीमा चिन्ह, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनिर्देशन के होंगे तथा ऐसी रीति में सन्निर्मित एवं अनुरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।<br>(4) प्रत्येक भू–धारक, उसकी भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा चिन्हों तथा सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा।" | धारा 124 का संशोधन. |

धारा 158 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 158 में–

(एक) उप–धारा (4) में शब्द "किसी पट्टे" के स्थान पर, शब्द "कृषि प्रयोजन के पट्टे" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(5) गैर–कृषि प्रयोजन पर आबंटित शासकीय भूमि में फ्री–होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति, उस भूमि के संबंध में, भूमिस्वामी होगा।"

धारा 162–क का अंतःस्थापन.

14. मूल अधिनियम की धारा 162 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"162–क. **शासकीय भूमि का व्ययन.**– राज्य सरकार, स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रिक्त शासकीय भूमि को फ्री–होल्ड अधिकार पर, और/या रियायती निर्बंधनों के तहत् पट्टे पर, आबंटन के लिए नियम बना सकेगी।"

धारा 165 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 165 में,–

(एक) उप–धारा (6) के खण्ड (एक) एवं (दो) में, शब्द 'उधार" के पश्चात्, शब्द "या वसीयत" अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (7–ख) में, जहां कहीं भी शब्द "ऐसा व्यक्ति" आया है के पश्चात्, शब्द "या उसका विधिक वारिस" अन्तःस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–धारा (7–ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु धारा 158 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाण–पत्र या उप–धारा (5) के अंतर्गत फ्री–होल्ड अधिकार धारण करने वाले भूमिस्वामी या उसके विधिक वारिस को, उस भूमि के अंतरण हेतु, इस उप–धारा में उल्लिखित अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।"

16. मूल अधिनियम की 166 की उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:– **धारा 166 का संशोधन.**

'(4) यदि भूमि का अंतरण धारा 165 के उल्लंघन में किया जाता है, तो अंतरिती के पक्ष में यह विधिपूर्वक अर्जन नहीं माना जायेगा।"

17. मूल अधिनियम की धारा 169 का लोप किया जाए। **धारा 169 का लोप.**

18. मूल अधिनियम की धारा 170 में,– **धारा 170 का संशोधन.**

(एक) उप–धारा (1) में, वाक्यांश "ऐसा व्यक्ति" के पश्चात्, वाक्यांश "जो अंतरण के पूर्व के भूमिस्वामी का विधिक वारिस हो या" अंतःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (2) में, वाक्यांश "उस भूमिस्वामी के या" के पश्चात्, वाक्यांश "उसके विधिक वारिसान के या" अन्तःस्थापित किया जाए।

(तीन) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(3) उपरोक्त उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन, उप–खण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से, जांच हेतु प्रकरण संस्थित कर, उचित आदेश पारित कर सकेगा।"

धारा 172 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 172 में,–

(एक) उप–धारा (1) के पांचवें परन्तुक के स्पष्टीकरण में, शब्द "धारा" के स्थान पर, शब्द "परन्तुक" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (5) में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 174 का लोप.

20. मूल अधिनियम की धारा 174 का लोप किया जाए।

धारा 182 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 182 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(3) सरकारी पट्टेदार, इस हेतु विहित नियमों के अंतर्गत, गैर–कृषि प्रयोजन पर आबंटित शासकीय भूमि में फ्री–होल्ड अधिकार प्राप्त कर सकेगा।"

धारा 246 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 246 में, शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "01 नवम्बर, 2000 के ठीक पूर्व" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 248 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 248 में,–

(एक) उप–धारा (2–क) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (दो) का लोप किया जाए।

(दो) उप–धारा (2–ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप धारा जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(3) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित तिथि के पूर्व के,

अतिक्रमणों का व्यवस्थापन कर सकेगा तथा राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकेगी।''

24. मूल अधिनियम की धारा 258 में,– धारा 258 का संशोधन.

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द ''नियम बना सकेगी'' के पश्चात्, शब्द ''एवं बनाये गये नियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगी'' अन्तःस्थापित किया जाए।

(दो) उप–धारा (2) का लोप किया जाए।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, भूमि एवं इसके धारणाधिकार के संबंध में परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रकाश में, हमारे विधानों में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

और यतः, संशोधन के महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रयोज्य अधिनियमों और नियमों के अनुसार कुछ परिभाषाओं को यथास्थान व्यवस्थित किया गया है।

(2) राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है, जिससे कि न्याय प्रदान करने को बेहतर किया जा सके। अतः धारा 33, 40, 47, 50 ,51, 52 एवं 56 में संशोधन प्रस्तावित हैं।

(3) भू-राजस्व निर्धारण से संबंधित धारा 98, 101, 102 एवं 103 का लोप, संहिता में उनके दोहराव को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

(4) धारा 115 में संशोधन के द्वारा भू-अभिलेख के शुद्धिकरण में जटिलता को दूर किया जा रहा है।

(5) सीमा चिन्हों के अनुरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण प्रावधान धारा 124 में संशोधन के द्वारा निगमित किया जा रहा है।

(6) भूमि आबंटन, अतिक्रमण का व्यवस्थापन एवं भूमिस्वामी अधिकार विभागीय परिपत्रों के माध्यम से शासित हो रहे थे। इन प्रक्रियाओं में समन्वय एवं अनुकूलन लाने के लिए धारा 158, 162, 165, 174, 182, 248, एवं 258 में संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया जा रहा है।

(7) धारा 2, 165, 166, 169 एवं 170 में संशोधन के माध्यम से भूमि अंतरण को शासित किया जा रहा है।

(8) भूमि के व्यवपवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी का प्रावधान इस हेतु बने नियमों में है। परन्तुक में उल्लिखित सक्षम अधिकारी से संबंधित भ्रम को दूर किया जा रहा है।

(9) पटेलों के कर्तव्य संबंधित अनावश्यक प्रावधान को निरसित किया जा रहा है।

अतएव, वर्तमान आवश्यकताओं और उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप पुराने अनुकूलित विधि को अद्यतन किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में संशोधन करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

जयसिंह अग्रवाल
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 20 मार्च, 2023

## उपाबंध

**छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959** की धारा 2, 33, 40, 47, 50, 51,52, 56, 98, 101,102, 103, 115,124, 158, 162, 165, 166, 169, 170, 172, 174, 182, 246, 248, एवं धारा 258 का उद्धरण–

**धारा–2. परिभाषाएं–** (1) इस संहिता में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो–

.................................................................................................................................

**(त्र)** **"सुधार"**...............................................................................................................

**(पांच) (ख)** कोई ऐसा संकर्म, जिससे कहीं भी स्थित किसी ऐसी भूमि के मूल्य में सारभूत रूप से कमी होती है जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति भूमिस्वामी की हैसियत में या **मौरूसी कृषक की हैसियत में** अधिभोग में रखता है।

.................................................................................................................................

**(ढ) "विधि व्यवसायी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी अधिनियम,1879 (क्रमांक 18 सन् 1879) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है.

(ण) **"आम्रकुंज"** से अभिप्रेत है आम के वृक्ष को इतनी संख्या में लगाये गए हैं कि उनसे उस भूमि पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग में लाया जाना रूक जाता है या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का या उसके किसी बड़े प्रभाग का, मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रूक जाएगा.

**(द)** **"मान्यता प्राप्त अभिकर्ता"** से, संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है,–

(एक) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्रवाइयों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामा के अधीन प्राधिकृत किया है ; **और**

(दो) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्रवाइयों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित में **प्राधिकृत किया है** ;

**(ध)** **"क्षेत्र"** से अभिप्रेत है यथास्थिति महाकौशल क्षेत्र,मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र या इनमें से कोई भी क्षेत्र ;

**(य-6) ''विकास योजना''** का वही अर्थ होगा,जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्र.23 सन् 1973) में परिभाषित है।

**धारा-33.** व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेजें पेश किए जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियॉ-(1).................................................................

(2) किसी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए तब तक आदिष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा व्यक्ति-

(क) उस दशा में जबकि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार है तहसीलदार की सीमाओं के भीतर और उस दशा में जबकि राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य राजस्व अधिकारी है उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है; या

(ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में निवास नहीं करता है जिसके तथा उस स्थान के, जहां कि हाजिन होने के लिए उसे समन किया गया है,बीच की दूरी **50 मील** से कम है या उस दशा में 200 मील से कम है जबकि उस स्थान के जहां कि वह निवास करता है तथा उस स्थान के, जहां कि हाजिर होने के लिए उसे समन किया गया है बीच की दूरी के 5 बटा 6 भाग के लिए रेल संचार या अन्य सुस्थापित लोक प्रवहण की व्यवस्था है.

**धारा. 40** अनुसूची 1 में के नियमों का प्रभाव- अनुसूची 1 में के नियम, जब तक कि वे बातिल या परिवर्तित न कर दी जाएं, इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वे इस संहिता **कलेवर में अधिनियमित** किए गए हैं.

**धारा. 47.** (क) उस आदेश की तारीख से जिसके कि संबंध में आपत्ति की जाए, **पैंतालिस दिन** का अवसान हो जाने के पश्चात् उपखंड अधिकारी या कलेक्टर को या बंदोबस्त अधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ख) ऐसी तारीख से **साठ दिन** का अवसान हो जाने के पश्चात् आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी; या

(ग) ऐसी तारीख से **नब्बे दिन** का अवसान हो जाने के पश्चात् मंडल को कोई अपील नहीं होगी :

**परन्तु** इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र में पारित किए गए किसी आदेश की अपील खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किए गए किसी राजस्व अधिकारी को ऐसे आदेश की तारीख से **साठ दिन** का अवसान होने के पूर्व की जा सकेगी :

**परन्तु** इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र में पारित किए गए किसी आदेश की अपील खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किए गए किसी राजस्व अधिकारी को ऐसे आदेश की तारीख से **साठ दिन** का अवसान होने के पूर्व की जा सकेगी :

**परन्तु** यह और कि जहां किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके विरुद्ध आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख को, जिसको कि आदेश पारित

किया गया है, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसेस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.

**धारा.50.** (1) मण्डल या आयुक्त या आयुक्त भू-अभिलेख या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर, किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश की वैद्यता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे मामलों का, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित हो या उसके द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह ठीक समझे.

**परन्तु-**

(एक) पुरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन-

(क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा,

(ख) धारा 210 के अधीन आयुक्त भू-अभिलेख के किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा,

(ग) आयुक्त अथवा आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा धारा 170-ख के अधीन के मामलों के संबंध में पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा और न ही मण्डल द्वारा स्वप्रेरणा से ऐसे आदेश का पुनरीक्षण किया जाएगा.

**(दो)** कोई भी ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आदेश की तारीख से यथास्थिति आयुक्त या आयुक्त भू-अभिलेख या कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को **साठ दिन** के भीतर या राजस्व मण्डल को **नब्बे दिन** के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की गणना में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दी जाएगी.

**(2)** उपधारा(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(एक) जहां किसी मामले के संबंध में कार्यवाहियां उपधारा(1) के अधीन मण्डल द्वारा प्रारंभ कर दी गई हों वहां आयुक्त या **बंदोबस्त आयुक्त** या कलेक्टर या **बंदोबस्त अधिकारी** द्वारा उनके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.

**धारा 51.** (1) मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वतः उसके द्वारा या उसके पुर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

**परन्तु–**

(एक) ..........................................................................................................

(एक–क)......................................................................................................

(दो)..............................................................................................................

**(तीन)** किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों के किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक कि वह उस आदेश के पारित किए जाने के **नब्बे दिन** के भीतर न किया गया हो.

**धारा 52 –(2)** अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे .

**परन्तु** आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवाई की तारीख, जो भी पहेले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा.

(3) वह प्राधिकारी, जो धारा 50 या धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे.

**परन्तु** आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन माह से अधिक या अगली सुनवई की तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा.

**धारा. 56–** इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिव्यक्ति "आदेश" से अभिप्रेत है उस विनिश्चय की प्रारूपित अभिव्यक्ति जो कियथास्थिति मंडल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा इस कोड या **तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति** के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के संबंध में किया गया हो.

**धारा 98– कृषि** प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण, **धारा 81** में दिये गये सिद्धान्तों और निर्बंधनों के अनुसार संगणित तथा नियत किया जाएगा और **गैर–कृषि** प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि का उचित निर्धारण धारा 59 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किया जाएगा.

**धारा 101.** धारा 100 के अधीन किया गया निर्धारण 30 वर्ष की कालावधि तक या ऐसे दीर्घत्तर कालावधि तक, जो कि उस कालावधि के पश्चात पुर्ननिर्धारण किए जाने के पूर्व बीत जाए, प्रवृत्त रहेगा और ऐसी कालावधि को, समस्त प्रयोजन के लिए भू–राजस्व निर्धारण की अवधि समझा जाएगा.

**धारा 102.** धारा 100 के अधीन नियत किया गया निर्धारण तब तक ऐसे भूखण्ड संख्या एक पर प्रतिवर्ष देय भू-राजस्व या लगान होगा जब तक कि वह इस संहिता या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार उपांतरित ना कर दिया जाए.

**धारा 103.** इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए बंदोबस्त या नवीनीकरण के अधिकारों सहित सरकार से प्राप्त किए गए पट्टे के अधीन नगरीय क्षेत्र में के किसी भूमि के लिए नियत किया गया भू राजस्व या लगान,ऐसे बंदोबस्त या पट्टे की अवधि का अवसान हो जाने पर भी,तब तक प्रवृत्त बना रहेगा,जब तक कि ऐसी भूमि पर निर्धारण इस अध्याय के उपबंध के अनुसार नियत नहीं कर दिया जाए.

**धारा 115.** (1) उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसान-किताब तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर, धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेखों में, अप्राधिकृत प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए, गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात, शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां, उसके द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी.

**परन्तु** यह कि कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को,शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी.

**धारा 124.**(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आदेश दे सकेगी कि समस्त सर्वेक्षण संख्यांकों या भूखण्ड संख्यांकों की भी सीमाएं नियत की जाये तथा सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाए.

**धारा 158.** (4) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आबंटन अधिकारी द्वारा उसे मंजूर **किसी पट्टे** के आधार पर भूमि धारण कियाक हुआ है, ऐसे आबंटन तारीख से 20 वर्ष पूर्ण होने की तारीख पर, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी समझा जाएगा और उन समस्त अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन होगा,जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमिस्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं।

**धारा 162.** * * * *

**धारा 165.** 6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिए आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार-

**(एक)** ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसी तारीख से, जिसे /जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो, विक्रय द्वारा या अन्यथा या **उधार** संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और नही अंतरणीय होगा ;

**(दो)** खण्ड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या **उधार** संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा :

**(7-ख)** उपधारा(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है, या जो धारा 158(3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध कारणों से दी जाएगी, के बिना नहीं करेगा.

**धारा 166.** (3) उपखण्ड अधिकारी, उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किए गए मामलों में, अंतरिती के पास बच रही भूमि के संबंध में भू-राजस्व ,विहित रीति से नियत करेगा.

**धारा 169.** – यदि कोई भूमिस्वामी-

(एक) अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि को धारा 168 के उल्लंघन में किसी कालावधि के लिए पट्टे पर दे देता है; या

(दो) किसी ऐसे ठहराव, जो धारा 168 की उपधारा(1) के अधीन पट्टा न हो, द्वारा किसी व्यक्ति को अपने खाते मे समाविष्ट किसी भूमि पर, अपने भाड़े के श्रमिक के रूप में न होकर अन्यथा, खेती करने हेतु अनुज्ञात करता है, और उस ठहराव के अधीन ऐसा व्यक्ति, उसे धारा 250 के अनुसार बेदखल किए गए बिना, दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिए ऐसी भूमि को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञात किया जाता है;

तो मौरूसी कृषक के अधिकार–

(क) उपर्युक्त (एक) के मामले में, पट्टेदार को ऐसी भूमि में तदुपरि प्रोद्भूत हो जाएंगे; और

(ख) उपर्युक्त (दो) के मामले में, कब्जे की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को उस भूमि में प्रोद्भूत हो जाएंगे :

परन्तु इस धारा में की कोई बात किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होंगी जो किसी ऐसी जनजाति के जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है, किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट हो तथा जो यथास्थिति उसके द्वारा पट्टे पर दी गई है या जिसके संबंध में उसने पूर्वानुसार कोई ठहराव किया है।

**धारा 170.** (1) जहां किसी भूमिस्वामी द्वारा कब्जे का अंतरण, ऐसे अंतरण के अनुसरण में किया गया हो जो कि धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में हो, वहां कोई भी **ऐसा व्यक्ति** जो किसी ऐसे भूमिस्वामी का, जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों, उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता–

(एक) 1 जुलाई सन् 1976 के पूर्व के कब्जे के अंतरण के मामले में, 31 दिसम्बर सन् 1978 तक, और

(दो) पश्चातवर्ती मामलों में कब्जे के ऐसे अंतरण के बारह वर्ष के भीतर, उपखंड अधिकारी को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे इस बात के अध्यधीन कब्जा दिया जाए कि उसे भू–राजस्व का बकाया या किन्हीं भी अन्य शोध्यों, जो कि उस खाते का भार हों, बावत वे दायित्व स्वीकार्य होंगे जिन्हें कि उपखण्ड अधिकारी इस संबंध में बताए गए नियमों के अनुसार अवधारित करे और उपखण्ड अधिकारी ऐसे आवेदन का निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जैसा कि विहित की जाए.

(2) जहां भूमिस्वामी की कोई भूमि धारा 165 की उपधारा (5) के उपबंधों में बेची जाती है वहां वह न्यायालय जिसके कि द्वारा ऐसे विक्रय का आदेश दिया जाता है, **उस भूमिस्वामी के या** किसी भी ऐसे व्यक्ति के, जो उस भूमिस्वामी का, जिसके कि कोई निकटतर वारिस न हों, उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को विरासत में प्राप्त करता, आवेदन पर जो ऐसे विक्रय, के दो वर्ष के भीतर किया गया हो, उस विक्रय को अपास्त कर देगा और आवेदक को उस भूमि का कब्जा इस बात के अध्यधीन दिलवाएगा कि उसे भू–राजस्व की बकाया या किन्ही भी अन्य शोध्यों, जो कि उस भूमि पर भार हों, संबंधी दायित्व स्वीकार्य होंगे.

**धारा 172.**

(1) यदि–

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर, या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में, जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो, या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ,विर्निदिष्ट करे, किसी प्रयोजन के लिए धारित भूमि काक भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह इस बावत अनुज्ञा दी जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा जो इस धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तो पर दे सकेगा जैसी कि वह ठीक समझे.

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात तीन मास तक, उसके संबंध में अनुज्ञा या इन्कारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया हो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा छह मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है।

परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है का भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग का ऐसे प्रयोजनों, जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, के लिए अथवा ऐसी भूमि या उसका कोई भाग जिसका निर्धारण कृषि प्रयोजन हेतु किया गया है तथा जो विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की सक्षम प्राधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी तथा ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं होगी.

परन्तु यह और कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की गई भूमि के व्यपवर्तन की सूचना देने के दिनांक से, सूक्ष्म (अतिलघु), लघु एवं मध्यम उद्योगों को तीन वर्ष की कालावधि के भीतर तथा बड़े उद्योगों की दशा में पांच वर्ष की कालावधि के भीतर, स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि उद्योग की स्थापना के पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, उत्पादन शुरू नहीं किया जाता है, तो व्यपवर्तन स्वमेव शून्यवत हो जायेगा.

परन्तु यह और भी कि राज्य शासन,लिखित में लेखबद्ध किये जाने वाले विशिष्ट कारणों से, उक्त कालावधि को बढ़ा सकेगा.

**परन्तु** यह भी यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कॉलोनी, जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है,के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा 59 के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भूभाटक के लिए दायी होगी.

**स्पष्टीकरण**- इस धारा के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी का वही अर्थ होगा जो उसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम,1961 के अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण,निंबंधन तथा शर्ते) नियम,1998 में दिया गया है.

(5) यदि कोई भूमि पूर्वगामी उपधारा में से किसी उपधारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या अधिरोपित की गई किसी शर्त के उल्लंघन में व्यपवर्तित की गई है, तो सक्षम प्राधिकारी उसस व्यक्ति पर जो ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है,सूचना तामील कर सकेगा जिसमें उसे यह निर्देश दिया जाएगा कि वह उस सूचना में कथित युक्तियुक्त कालावधि के भीतर उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए या शर्त का अनुपालन करे और ऐसी सूचना में ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह किसी संरचना को हटा ले,किसी उत्खात को भर दे या ऐसे अन्य उपाय करे जो इस दृष्टि से अपेक्षित हो कि उस भूमि को उसके मूल प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके या यह कि शर्त को पूरा किया जा सके,सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति जो एक **हजार रूपये** से अधिक की नहीं होगी तथा ऐसी अतिरिक्त शास्ति भी, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रूपए से अधिक की नहीं होगी,अधिरोपित कर सकेगा.

**धारा 174. त्यजन किए गए उपखण्ड का निपटारा**- यदि धारा 173 के अधीन सर्वेक्षण संख्याक या या भूखण्ड संख्याक के किसी उपखण्ड का त्यजन कर दिया जाता है तो तहसीलदार उसी सर्वेक्षण संख्याक या भूखण्ड संख्याक के अन्य उपखण्डों के भूमिस्वामी को ऐसी प्रीमियम पर, जो कि वह उचित समझे,ऐसे उपखण्ड को दखल में लेने के अधिकार देगा और यदि ऐसी भूमिस्वामियों में स्पर्धा हो तो वह ऐसे अधिकार को उनमें से सबसे उंची बोली लगाने वाले भूमिस्वामी को बेच देगा.

**धारा 182.** (2) सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से, राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा, अर्थातः-

(एक) यह कि उसने लगान का उस तारीख से, जिसको कि वह शोध्य हो गया था, तीन मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया है, या

(दो) यह कि उसने ऐसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से, जिनके कि लिए वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिए किया है, या

(तीन) यह कि उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है, या

(चार) यह कि उसने अनुदान के किसी निबंधन तथा शर्त का उल्लंघन किया है.

परन्तु इस उप-धारा के अधीन किसी सरकारी पट्टेदार को बेदखल करने के लिए कोई आदेश उसे अपनी प्रतिरक्षा में सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

**धारा 246. आबादी में गृह स्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार –** प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो **छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959(क्र.20सन् 1959) के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व** आबादी भूमि अंतर्गत कोई भूमि,विधि पूर्वक धारण करता है या इसके पश्चात् ऐसी भूमि को विधि पूर्वक अर्जित कर लेता है, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगा.कब्जेदार ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी होगा, जो कि राज्य शासन द्वारा ऐसे किसी आबादी या अन्य दखलरहित भूमि में गृहस्थल के रूप में धारित भूमि के कब्जेदार को, किसी विधि/नियम के अधीन दिए गए भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र में वर्णित है.

**धारा 248.** **(2–क)** यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित किया जा सकता हो, उपखण्ड अधिकारी उस व्यक्ति को पकड़वाएगा और उसे प्रथम बेदखली की दशा में पंद्रह दिन की कालावधि के लिए तथा दूसरी या पश्चातवर्ती बेदखली की दशा में तीन मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार के परिरूद्ध किया जाने के लिए वारंट के साथ भेजेगा.

**परन्तु** इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही–

(एक) तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी सूचना जारी न की गई हो जिसमें कि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिन उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो तथा यह कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागर के सुपुर्द क्यों न किया जाए.

(दो) **ऐसी सरकारी तथा नजूल भूमियों पर किए गए अधिक्रमणों के संबंध में नहीं की जाएगी जिसके कि बंदोबस्त के लिए सरकार ने समय–समय पर आदेश जारी किए हों.**

परन्तु यह और भी, कि उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को, वारंट में वर्णित कालावधि का अवसान होने के पूर्व भी निरोध से निर्मुक्त किए जाने का आदेश दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाए कि अप्राधिकृत कब्जा छोड़ा जा चुका है.

परन्तु यह भी कि कोई स्त्री इस उपधारा के अधीन गिरफ्तार या निरूद्ध नहीं की जाएगी.

**(2–ख)** राज्य सरकार उपधारा (2–क) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

**धारा 258. नियम बनाने की साधारण शक्ति** –(1) राज्य सरकार, साधारणतः इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए **नियम बना सकेगी** ।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :–

(एक) धारा 3 के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निंबंधन तथा शर्ते;

(एक–क) धारा 13 के अधीन प्रस्थापना हेतु प्ररूप विहित करना;

(दो) भू–अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू–अभिलेख अधीक्षकों के कर्तव्य का विहित किया जाना;

(तीन) भूमि को किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित किए जाने पर धारा 59 के अधीन भू–राजस्व के निर्धारण का विनियमन तथा प्रीमियम का अधिरोपण;

(चार) धारा 60 के अधीन उस भूमि पर निर्धारण जिस पर निर्धारण नहीं हुआ हो;

(चार–क) धारा 63 की उपधारा (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं कर्तव्य विहित करना;

(पांच) धारा 69 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ग्रामों की विरचना और कृषि प्रयोजना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को समाविष्ट करने वाले सर्वेक्षण संख्यांको का न्यूनतम विस्तार;

(छह) धारा 70 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों का समामेलन एवं उपखण्डों में विभाजन और सर्वेक्षण संख्यांक के निर्धारण का सर्वेक्षण संख्यांक के उपखण्डों के बीच प्रभाजन;

(सात) उन अभिलेखों का विहित किया जाना जिनमें धारा 71 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों को तथा सर्वेक्षण संख्यांको के उपखण्डों का क्षेत्रफल तथा निर्धारण प्रविष्ट किया जाएगा;

(आठ) धारा 73 के अधीन किसी एक ग्राम को दो या अधिक ग्रामों में विभाजित करनेया दो या अधिक ग्रामों को एक ग्राम में संयोजित करने या ग्राम गठित करने या ग्रामी सीमाएं परिवर्तित करने की रीति;

(नौ) धारा 77 के अधीन वह आवश्यक जांच जो पूरी की जाएगी तथा वह प्ररूप जिसमें और वे विशिष्टियां जिनके साथ निर्धारण दर संबंधी प्रस्थापनाएं अग्रेषित की जाएंगी,

(दस) वह रीति जिसमें धारा 82 के अधीननिर्धारण की सूचना दी जाएगी;

(ग्यारह) * * *

(बारह) धारा 91–क के अधीन भू–सर्वेक्षण या भू–राजस्व निर्धारण के संचालन का विनियमन;

(तेरह) धारा 93 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में की भूमियों को भू–खण्ड संख्यांकों के रूप में विभाजित किए जाने ,विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को भू–खण्ड संख्यांकों के रूप में मान्य किए जाने, भूखण्ड संख्याकों को पुनर्गठित किए जानेया नवीन भू–खण्ड संख्यांक विरचित किए जानेका विनियमन;

(तेरह) धारा 93 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में की भूमियों को भूखण्ड संख्यांको के रूप में विभाजित किए जाने, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को भूखण्ड संख्यांकों के रूप में मान्य किए जाने, भूखण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित किए जाने या नवीन भूखण्ड संख्यांक विरचित किए जाने का विनियमन;

(चौदह) धारा 94 के अधीन भू-खण्ड संख्यांकों को उपखण्डों में विभाजित करने तथा भू- खण्ड संख्यांक के निर्धारण को उपखण्डों के बीच प्रभाजित करने की रीति और किसी स्थानीय क्षेत्र में उपखंडों की मान्यता के लिए या तो क्षेत्रफल को या भू- राजस्व की या दोनों की सीमाएँ;

(पंद्रह) धारा 95 के अधीन अभिलेखों का विहित किया जाना;

(सोलह ) धारा 96 के अधीन अन्य विशेष प्रयोजनों का विहित किया जाना;

(सत्रह) धारा 97 के अधीन मानक दरों को प्रकाशित करने की रीति;

(अठारह) (क) धारा 98 (1) के अधीन, भूमियों के समस्त रजिस्ट्रीकृत विक्रयों तथा पट्टों के अभिलेख रखने की रीति; और

(ख) धारा 98 (2) के अधीन भूमियों के औसत वार्षिक भाटक मूल्य का अवधारणा;

(उन्नीस) धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन पटवारियों के अन्य कर्तव्य का विहित किया जाना;

(बीस) धारा 106 के अधीन राजस्व निरीक्षकों के अन्य कर्तव्य का विहित किया जाना;

(इक्कीस) धारा 107 (2) के अधीन अन्य विशिष्टियों का विहित किया जाना;

(बाईस) धारा 108 के अधीन अधिकार अभिलेख के प्ररूप का तथा उन अतिरिक्त विशिष्टियों का, जो अधिकार अभिलेख में सम्मिलित किए जाने वाले कागज- पत्रों में प्रविष्टि की जानी हों, विहित किया जाना;

(तेईस) धारा 109 के अधीन पटवारी द्वारा दी जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप;

(चौबीस) (क) धारा 109 के अधीन रिपोर्ट किए गए अधिकारों के अर्जन को दर्ज करने के लिए धारा 110(1) के अधीन रजिस्टर का विहित किया जाना;

(ख) अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों का, जिन्हें कि धारा 110 (3) के अधीन लिखित प्रज्ञापना दी जाएगी, विहित किया जाना;

(ग) धारा 109 एवं 110 के प्रयोजन हेतु अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट, प्रज्ञापना, नामांतरण पूर्व का स्केच, अभिस्वीकृति, नोटिस, प्रतिलिपि, शुल्क, लंबित मामलों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की रीति एवं प्ररूप विनियमित करना;

(पच्चीस) (क) धारा 114 (1) के अधीन अन्य भू-अभिलेखों का विहित किया जाना; (ख) उस फीस का विहित किया जाना जिसका कि भुगतान करने पर धारा 114 (2) के अधीन रसीद बही दी जाएगी और उन प्रविष्टियों का विहित किया जाना जो कि उसमें अंतर्विष्ट होंगी;

(छब्बीस) धारा 120 के अधीन सहायता की अध्यपेक्षा का विनियमन;

(सत्ताईस) धारा 121 के अधीन भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, रखा जाना तथा पुनरीक्षित किया जाना;

( सत्ताईस - क) वह रीति जिसमें धारा 123 (3) के अधीन तहसीलदार द्वारा आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा;

(अट्ठाईस) (क) धारा 124 (3) के अधीन ग्रामों के तथा सर्वेक्षण संख्यांकों या भू-खण्ड संख्यांकों के सीमा चिन्हों संबंधी विनिर्देश तथा उनके सन्निर्माण एवं अनुरक्षण की रीति; और

(ख) धारा 124 (4) के अधीन नवीन सीमा चिन्हों के सन्निर्माण का खर्च भू- धारकों के बीच विभाजित करने की रीति;

(अट्ठाईस - क) धारा 126 के अधीन संक्षेपतः बेदखली की रीति;

(उन्तीस) ग्राम की सड़क, ग्राम की बंजर भूमि या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि तथा उससे लगी हुई भूमि के बीच सीमा चिन्हों को अंकित करने की रीति और वह रीति जिसमें वे सु-अवस्था में रखे जाएँगे तथा उनका नवीकरण किया जाएगा;

(तीस) धारा 129 के अधीन सर्वेक्षण संख्यांकों, उपखण्डों या भू-खण्ड संख्यांकों का सीमांकन करने की प्रक्रिया, सीमा चि न्हों का प्रकार तथा फीस का उद्ग्रहण;

(इकतीस) धारा 140 के अधीन वे तारीखें जिनको तथा वे किस्तें जिनमें भू-राजस्व देय होगा और वे व्यक्ति जिन्हें तथा वह स्थान जहाँ ऐसी किस्तों का उक्त धारा के अधीन भुगतान किया जाएगा;

(बत्तीस) वह प्ररूप जिसमें धारा 142 के अधीन रसीद दी जाएगी;

(तैंतीस) धारा 144 (1) के अधीन भू-राजस्व की छूट या उसके निलंबन का विनियमन;

(चौंतीस) धारा 146 के अधीन माँग की सूचना जारी करने में और धारा 147 में विनिर्दिष्ट की गई आदेशिकाओं का निष्पादन करने में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन;

(पैंतीस) धारा 160 के अधीन वार्षिकी मंजूर करने के लिए आवेदन का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जाएगा तथा ऐसा मंजूरी की शर्तों का विहित किया जाना;

(छत्तीस) धारा 161 के अधीन भू- राजस्व निर्धारण के चालू रहने के दौरान राजस्व के कम किए जाने का विनियमन;

(सैंतीस) ई-नामांतरण पोर्टल एवं ई-राजस्व न्यायालय पोर्टल में अपनाई जाने वाली प्रक्रियों,

(अड़तीस) धारा 165 के अधीन भूमि का अधिकतम सीमाओं का विहित किया जाना;

(उन्तालीस) उन रीति का विहित किया जाना जिसमें धारा 166 के अधीन समपहृत भूमि का

चयन तथा सीमांकन किया जाएगा एवं अंतरिती के पास बच रही भूमि पर भू- राजस्व नियत किया जाएगा।

(चालीस ) धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलाए जाने संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन;

(चालीस-क) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें धारा 170-ख की उपधारा (1) के अधीन उपखण्ड अधिकारी को जानकारी अधिसूचित की जाएगी;

(इकतालीस) धारा 172 के अधीन किसी भूमिस्वामी को अपने खाते या उसके किसी भाग को व्यपवर्तित करने के लिए अनुज्ञा दी जाने या अनुज्ञा देने से इंकार किए जाने का विनियमन;

(बयालीस) धारा 173 के अधीन किसी भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्यजन किए जाने का विनियमन;

(तैंतालीस) उन निबंधनों तथा शर्तों का विहित किया जाना जिन पर किसी व्यक्ति को धारा 176(2) के अधीन किसी परित्यक्त खाते का कब्जा दिया जा सकेगा;

(चवालीस) (क) धारा 178 (2) के अधीन खातों के विभाजन तथा निर्धारण के प्रभाजन का विनियमन; और

(चौवालिस-क) धारा 178 - क के अधीन भूमिस्वामी के जीवन काल में भूमि के विभाजन का विनियमन;

(पैंतालीस) धारा 179 (2) के अधीन वृक्षों में के अधिकार का क्रय करने के हेतु आवेदनों के बारे में राजस्व अधिकारियों का मार्गदर्शन;

(छियालीस( (क) साधारणतः या किन्हीं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में समन, सूचनाओं तथा अन्य आदेशिकाओं की डाक द्वारा या किसी अन्य रीति में तामील और ऐसी तामील का सबूत.

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को समन करने की राजस्व अधिकारियों की शक्ति का विनियमन तथा साक्षियों के लिए व्ययों की मंजूरी,

(ग) मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं का, इस संहिता के अधीन की कार्यवाहियों में उनके द्वारा की जाने वाली उपसंजातियों, किये जाने वाले आवेदनों तथा किए जाने वाले कार्यो के बारे में विनियमन,

(घ) वह प्रकिया, जिसका अनुपालन जंगम तथा स्थावर संपत्तियों की कुर्की करने में किया जावेगा,

(ङ.) विक्रयों की प्रकाशित करने, संचालित करने, अपास्त करने तथा उनकी पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया तथा ऐसीस कार्यवाहियों से संसक्त समस्त अनुषांगिक विषय,

(च) पशुधन तथा अन्य जंगम संपत्ति का, जब कि वह कुर्की के अधीन हो, अनुरक्षण तथा उसकी अभिरक्षा,ऐसे अनुरक्षण तथा ऐसी अभिरक्षा के लिए देय शुल्क, ऐसे पशुधन तथा संपत्ति का विक्रय, और ऐसे विक्रय के आगम,

(छ) अपीलों तथा अन्य कार्यवाहियां का समकेन,

(ज) ऐसे समस्त प्ररूप, रजिस्टर, पुस्तके, प्रविष्टियां तथा लेखे, जो राजस्व न्यायालयों के कामकाज के संपादन के लिए आवश्यक या वांछनीय हों,

(झ) वह समय, जिसके भीतर, किसी अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे,

(ञ) किन्हीं भी कार्यवाहियों तथाउनके आनुषंगिक,

(ट) खर्चे कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा और ऐसी परीक्षा के आनुषगिक व्ययों का भुगतान,

(ठ) अर्जी–लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विमयम।

(सैंतालीस से इक्यावन) * * *

(बावन) भू–राजस्व में ऐसी वृद्धि तथा कमी के निर्धारण का विनियमन जैसा कि अध्याय 15 के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात है;

(तिरपन) धारा 222 (1) के अधीन पटेलों की नियुक्ति का विनियमन, जहाँ किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों, वहाँ पटेल के पद के कर्तव्य के वितरण की रीति, पटेल के पारिश्रमिक का नियत किया जाना और धारा 224 के अधीन पटेल के अतिरिक्त कर्तव्य का विहित किया जाना तथा धारा 226 के अधीन उसे पद से हटाया जाना और धारा 228 के अधीन प्रतिस्थानी पटेल का नियुक्त किया जाना;

(चौवन) उन ग्रामों के लिए, जो किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिका निगम या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति या किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित न हों, ग्रामों की स्वच्छता, जानवरों के शवों को गाड़े जाने, कुओं के संरक्षण तथा उनकी बाड़ लगाए जाने, ग्रामों की सड़कों के समारक्षण का तथा ग्राम स्वायत्त शासन से संबंधित वैसे ही विषयों का विनियमन;

(पचपन) (क) कोटवारों की नियुक्ति, उनके लिए दण्ड, उनका निलंबन और उनकी पदच्युति;

(ख) कोटवारों के कर्तव्य का विहित किया जाना और उनके पयर्वेक्षण का ढंग;

(छप्पन) * * *

(सत्तावन ) धारा 233 के अधीन रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;

(अट्ठावन) वह रीति जिसमें धारा 234 (2) के अधीन ग्रामवासियों की इच्छाएँ अभिनिश्चित की जाएँगी,

(उनसठ) (क) धारा 237 (1) के अधीन निस्तार अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दखलरहित भूमि के पृथक् रखे जाने का विनियमन; और

(ख) धारा 237 (1) (ट) के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए अन्य प्रयोजन;

(ग) धारा 237 (3) के अधीन दखलरहित भूमि के व्यपवर्तन का विनियमन ।

(साठ) (एक) व्यक्तियों के वे प्रवर्ग जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्षपट्टे मंजूर किए जाने के लिए अग्रता दी जाएगी;

(दो) ऐसे व्यक्तियों के चयन की रीति जिन्हें वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्षपट्टा मंजूर किया जाना हो;

(तीन) पृथक् रक्षित की जाने वाली भूमि का परिमाण;

(चार) वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्षपट्टा मंजूर करने हेतु निबंधन और शर्तें;

(पाँच) वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्षपट्टे का स्वरूप;

(छह) वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र और वृक्षपट्टे के अधीन भोगाधिकारों की सीमा;

(इकसठ) धारा 240 (1) के अधीन वृक्षों के काटे जाने का तथा धारा 240 (3) के अधीन वनोत्पाद (फारेस्ट ग्रोथ ) के नियंत्रण, प्रबंध, काट कर गिराए जाने या हटाए जाने का विनियमन;

(बासठ ) धारा 241 के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसके अधीन वृक्षों के काट कर गिराए जाने या हटाए जाने का विनियमन;

(तिरसठ) (क) धारा 242 (1) में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों के बारे में रूढ़ियों को अभिनिश्चित करने तथा उन्हें अभिलिखित करने की रीति, और

(ख) धारा 242 (2) के अधीन रूढ़ियों का अभिलेख प्रकाशित करने की रीति;

(चौंसठ) धारा 244 के अधीन आबादी क्षेत्र में के स्थलों के निपटारे की रीति का विहित किया जाना;

(पैंसठ ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव-जंतुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनको गोली मारने का तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्हीं पदार्थों के हटाने का विनियमन;

(पैसठ-क) धारा 250 के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु विनियमन

(छियासठ) (क) धारा 251 (2) के अधीन आवेदन के प्ररुप का विहित किया जाना; और (ख) धारा 251 (6) के अधीन तालाबों से जल के उपयोग का विनियमन;

(सड़सठ ) * * *

(अड़सठ ) * * *

(उनहत्तर) धारा 256 के अधीन अभिलेखों, नक्शों तथा भू-अभिलेखों का निरीक्षण किया जाने तथा उनकी प्रतिलिपियाँ प्रदान की जाने के लिए शर्तों का विहित किया जाना;

(सत्तर) साधारणतः इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारों तथा समस्त अन्य व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए;

(इकहत्तर) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.